

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

विनियम अंगठी चूक्षि नियम नि (1)

संख्या ५० तिथि १९ मार्च, १९९७ दिनांक १९ मार्च, १९९७ (फाल्गुन २८, १९१६)

अमय १०.३० बजे दिन १९९७ विनियम नि (5)

तात्पर्य विनियम नि (५) दिनांक १९ मार्च, १९९७ (फाल्गुन २८, १९१६)

१. प्रश्नोत्तर

पृष्ठकता वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. नियम १३० (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वत्री मोती कश्यप, ईश्वरदास रोहाणी, प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले की जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ढारा अनियमित किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भोपाल जिले के बैरसिया धानान्तरगत एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

३. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल जैन, सभापति, लोक लेखा समिति का १०० से १२१वीं प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री अमिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति का ८७ से ११७वीं प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) श्री सुभाष कुमार सोजिया, सभापति, शासकीय आवासनों संबंधी समिति का बीसवीं एवं इक्कीसवीं प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

४. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत सिंहपुर के वार्ड क्रमांक-१० एवं २० में विद्युतीकरण कराये जाने ;
- (ख) ग्राम सर्वीटोला में विद्युतीकरण कराये जाने ;
- (ग) ग्राम पंचायत खैरहा के कोलानटोला, कुदरीटोला, कबोहाटोला तथा छपरटोला में विद्युतीकरण कराये जाने ;
- (घ) ग्राम दूधी के वैगिनटोला में विद्युतीकरण कराये जाने ; तथा
- (ङ) ग्राम खोलहाड के आदिवासी मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने ,

(2) श्री रमाशंकर भारदाज, सदस्य, मुरैना जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत तिल्लीपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने ;
- (ख) अम्बल नदी के पालीघाट पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने ; तथा
- (ग) ग्राम तिल्लीपुर तथा नागर-गावडा सड़क की मरम्मत कराये जाने ,

(3) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पुरैनिया में विद्युतीकरण कराये जाने , तथा

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के शासकीय गोधी महाविद्यालय बालाजी के भवन को लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज कराये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

५. राज्यमंत्री जन-शिकायत निवारण का विषय

श्री डी. पी. धुतलहरे, राज्यमंत्री जन-शिकायत निवारण, दिनांक १२ फरवरी, 1997 को पूछे गये ताराकित प्रश्न संख्या १ (क्रमांक १५०) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

— २ —

६. वास्तवीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यपर्मंत्री वाणिज्यिक कर, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 10 सन् 1997) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर स्थानिक विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(३) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(4) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1997 (क्रमांक 9 सन् 1997) पर विधार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विशेषक पर सम्झौता विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विशेषक अधिकारी

प्रसारण करने के विधियक पारित किया जाय।

भोपाल :

दिनांक : 18 मार्च, 1997 संचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा